न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :—398/2017 प्रार्थना पत्र
श्रीमति लक्ष्मीदेवी पत्नि हरीश प्रजापत, उम्र बालिग निवासी गूजर मोहल्ला, भोपालगंज—भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

बनाम ——————प्रार्थिया

1—श्री अर्जुन सिंह पिता गोरधन सिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा
2—श्री गणपतसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा
3—श्री भीमसिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा
4—श्री देवराज पिता मूलसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा
5—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)

————विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—22.1.2018

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मालोला पटवार हल्का मालोला भू—अभिलेख निरीक्षक सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 917/4 रकबा 2 बिस्वा, 920/4 रकबा 9 बिस्वा, 920/5 रकबा 7 बिस्वा, 921/1 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 1 बीघा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.2017 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 3 व 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। किन्तु विपक्षीगण संख्या 1 से 3 व 5 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 22.1.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। तथा विपक्षी संख्या 4 के विरूद्व वकील प्रार्थीया द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण कार्यवाही ड्रॉप किये जाने का आदेश दिनांक 22.1.2018 को पारित किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार क़िया जाना उचित समझता हूँ, अतः

:: आ दे श ::

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम मालोला पटवार हल्का मालोला भू–अभिलेख निरीक्षक सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 917/4 रकबा 2 बिस्वा, 920/4 रकबा 9 बिस्वा, 920/5 रकबा 7 बिस्वा, 921/1 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 1 बीघा भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सांगानेर को 500/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22.1.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner